कार्यालय आदेश

टैगोर पब्लिक स्कूल, टैगोर लेन, आम्रपाली सर्किल वैशाली नगर जयपुर ---------------------- को राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था नियम 1993 एवं तत्पश्चात् किये गये संशोधन के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए सत्र 98-99 से उ.प्रा. स्तर की अस्थाई मान्यता एवं एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत **3 शैक्षिक सत्र** के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं शपथ पत्र के आधार पर निम्नांकित शर्तों की पूर्ति पर दी जाती है।

मान्यता शर्तों की पालना न करने अथवा किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय किसी विपरीत स्थिति पाये जाने पर मान्यता निरस्त की जा सकती है।

यह संस्था का उत्तरदायित्व होगा कि वह निर्धारित अवधि में मान्यता नियमों के अनुसार अपना प्रस्ताव इस कार्यालय को यथा समय प्रस्तुत करें अथवा मान्यता स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

1- परिशिष्ट 2 की समस्त शर्तें पूर्ण करें।

2- शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।

3- भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें/नवीनीकरण करावें/सक्षम अधिकारी से प्राप्त करें।

4- संयुक्त कोष का प्रमाण पत्र संलग्न करें/संयुक्त नाम से करावें।

5- संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करें।

6- स्टाफ को नियमानुसार वेतन व अन्य भत्ते दिये जावें।

7- मान्यता शुल्क का ड्राफ्ट संलग्न नहीं है/अपर्याप्त है।

8- शत प्रतिशत स्टाफ प्रशिक्षित रखें।

9- एन.सी.आर.टी. पाठ्यक्रम का विवरण संलग्न नहीं है।

10- प्रस्ताव भविष्य में यथा समय पर प्रस्तुत किया जावें।

S/-

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक, जयपुर प्रथम

क्रमांक: शिविरा/प्राशि/जय/प्रथ/सामान्य-6/895 दिनांक- 26-11-98

प्रतिलिपि- टैगोर पब्लिक स्कूल वैशाली नगर जयपुर

1- सचिव ----------------------

2- सम्बन्धित वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी स्थानीय कार्यालय।

3- रक्षित पत्रावली।

[illegible] 11-98
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक जयपुर प्रथम

मंत्री
टैगोर शिक्षा भवन सोसायटी
जयपुर

कार्यालय जिला अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर ।

(कार्यालय–आदेश)

निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्रार/शैक्षिक/2001/सी–1/19626/मुख्य/के–11/दिनांक 6.10.2001 के द्वारा निर्देश प्रदान किये है कि गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को अस्थाई/स्थाई मान्यता देने के बजाय केवल मान्यता ही प्रदान की जावे । तथा जिन शैक्षिक संस्थाओं को सक्षम स्तर से अस्थाई मान्यता प्रदान कर दी गई को मान्यता प्राप्त संस्थाओं के समकक्ष ही समझा जावे, अब इन्हें नये सिरे से स्थाई मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा।

अतः उक्त आदेशो की अनुसरण मे सत्र 2001–2002 से पूर्व जिन संस्थाओं को प्राथि/उप्राथ स्तर की अस्थाई मान्यता प्रदान की गई थी। उन संस्थाओं को मान्यता प्राप्त पढ़ा जावे।

इन संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप अथिवा स्तर मे परिवर्तन होने पर यह आदेश मान्य नहीं होगा।

Sd/-
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रा.शि. जयपुर।

क्रमांक:जिशिअ/जय/प्राशि/शा–5/फा–मान्यता/ 267 /02दिनांक 11/01/02

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर।
3. संबंधित संस्था प्रधान–टैगोर पब्लिक स्कूल वैशाली नगर, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रा.शि. जयपुर।

मंत्री
टैगोर शिक्षा भवन सोसायटी
जयपुर

Grant Letter for-:EX-04047-2021

NO : CBSE/AFF/1730209 /EX-04047-2021/2020-21/ Dated: 03/10/2020

The Manager,
Tagore public school
amarpali circle near jda nursery vaishali nagar jaipur rajasthan
RAJASTHAN ,JAIPUR , 302021
(M: 1412352465)

Sub: Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level - regarding
Ref: Application No. EX-04047-2021

With reference to your application on the subject cited above; I am directed to convey the approval for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No :	1730209
Affiliated for :	Senior Secondary
Category :	Extension of General Affiliation
Period of Extension of :	01.04.2020 to 31.03.2025

In view of current COVID-19 pandemic which has most severely affected the normal functioning of schools in the country, however, the school is pursuing to provide extension of affiliation so as to avoid any difficulty for the purpose of admission /registration/ obtaining loan/renewal of various safety certificates from appropriate state authorities.

Therefore, the competent authority of the Board after due consideration has accorded approval for extension of Affiliation based on details/data submitted by school in online application for a further period of 5 years subject to fulfilment of following conditions:

1. The school will follow the **RTE Act, 2009** and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time.
2. The School is required to apply on online for further extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws, 2018.
3. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned as mentioned in certificate as per appendix III issued by District Education Officer (DEO) /equivalent officer
4. The school should ensure the strong governance and management of its activities in way of comprehensive and quantifiable planning in way of curriculum planning, infrastructure, resources, physical education, staff development and other co-curricular areas.
5. The school should go through the provision of **Affiliation and Examination Bye Laws and keep a copy there of** for reference purpose and also advised to visit CBSE websites i.e. http://cbseacademic.nic.in/ & http://cbse.nic.in/ for updates. The School is expected to see all circulars on these CBSE websites regularly.
6. The school will strictly adhere to all rules regarding safety of students including Fire fighting and Transportation, etc. Further, school will provide adequate facilities for potable drinking water and clean healthy and hygienic toilets with washing facilities for boys and girls separately in proportion to the number of students. The school will ensure that Fire, Building, health and sanitation and safe drinking water certificates are renewed from time to time, as per norms.
7. **Admission to the school** is to be restricted as per relevant rules of Examination Bye-laws and rule 2.4.5, 2.6.5, 7.1, 7.2, 8.4.2, 8.4.10 & other relevant rules of Affiliation bye laws.
8. The school is required to follow rule No.2.4.7 and 2.4.8 of Affiliation Bye Laws regarding Books and Quality of Education.
9. The number of sections may be restricted as per the Appendix V of the Affiliation Bye-Laws of the Board. For increase in number of sections, the School shall apply online to the Board as per rule 15.7 of Affiliation Bye laws.
10. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity related to running of school affiliated to CBSE. The school shall also be liable to bear all legal charges incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances.
11. The school must strive to promote conservation of environment on their campus through rain water harvesting, segregation of waste at source, recycling of organic waste, proper disposal of waste including electronic waste, use of energy saving and energy efficient electrical equipment, greening of campus, use of solar energy, education and awareness amongst children on environment conservation and cleanliness etc
12. The school shall submit their information through Online Affiliated School Information System (OASIS) as per details given in circular no. affiliation-06/2018 dated 24.04.2018. Link for OASIS is available on Board's website:www.cbse.nic.in
13. The optimum Section teacher ratio of 1:1.5 as well as student teacher ratio of 30:1 is to be maintained to teach various subjects and school shall appoint qualified and trained teaching staff on regular basis as per provisions of Affiliation Bye Laws of the Board.
14. Every affiliated school shall sponsor regularly its bonafide and eligible students in Boards Class X and Class XII examinations from the year mentioned while granting affiliation/up-gradation regularly without break or inform with reasons thereof in writing well in time about the non-sponsoring of the candidates.
15. Running of coaching institutionsin the school premises in the pretext of providing coaching to the students for various examinations is not permitted by the Board. Strict action would be taken on defaulters.
16. The Manger and the Principal of the school shall be jointly responsible for the authenticity of the online/offline documents/ information/data submitted by the School to the Board.
17. Apart from rules to be adhered to by the school as mentioned above for drawing specific attention of the school authorities, the school authorities are required to acquaint themselves with all the rules contained in Affiliation & Examination Bye-laws and circulars/guidelines/notification issued by the Board from time to time. Any laxity in following rules/instructions of the Board will lead to action against school as per clause 12 of Affiliation Bye-laws-2018.
18. The genuineness of information / documents / data submitted shall be of school and in case, if found otherwise the school shall invite action as per affiliation Bye laws-2018
19. The school shall be responsible for submission of any pending compliance, reply of show case /legal notice/ complaint and for submission of date/information sought by the Board. The extension of 05 years shall be from the date of cessation of previous validity of extension of affiliation
20. The school is required to remit pending fee, if any
22. The school shall renew all mandatory safety certificate i.e Safe Drinking Water & Health and Hygiene certificate, Fire Safety Certificate and Building Safety Certificate from concerned Govt authorities time to time
23. The school shall also maintain record of certificate, compliances, data and other records/information and shall be fully responsible to produce all such records before Board and appropriate Government Authorities when asked for, failing which necessary action shall be taken as per Affiliation-Bye-Laws of the Board. The school shall also be liable for action by the appropriate Govt., in case of violation / non-compliance of the concerned Govt. norms
24. The Board reserves the right to conduct inspection of school as per clause 11.2 and 11.4 of Affiliation Bye Laws.

मंत्री
टैगोर शिक्षा भवन सोसायटी
जयपुर

Deputy Secretary/ Joint Secretary(Affiliation)

computer-generated document. No signature is required.

0424

प्रारूप–2

(नियम 8 क का उप–नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/जय/सा–5/फा–मान्यता/झोट./424/2012 दिनांक–05/10/12

संस्था सचिव

टैगोर पब्लिक स्कूल

वैशाली नगर

जयपुर

विषयः– नियम 8–क के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक .... और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा. शि. जयपुर (विद्यालय का नाम और पता) टैगोर पब्लिक स्कूल, वैशाली नगर को 01.4.2012 से — तक ~~तीन वर्ष~~ की कालावधि के लिए कक्षा नर्सरी से आठवीं तक के लिए ~~अनंतिम~~ मान्यता मंजूर करता हूं।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगीः–

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा–8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।

2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्दीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।

3. विद्यालय, कक्षा–1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पडीस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य, शिक्षा उपलब्ध करावेगा।

4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

मंत्री
टैगोर विद्या भवन सोसायटी
जयपुर

5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।

6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :

(i) विद्यालय मे प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कसित नहीं किया जायेगा ;

(ii) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा ;

(iii) किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा ;

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा–अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा ;

(v) 2009 के अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों के सम्मिलित किया जाये ;

(vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें ;

परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते है, व 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;

(vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं ; और

(viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेगें।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्विवरण का अनुसरण करेंगे।

8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा–विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है :– (संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र–प्रपत्र 1 के अनुसार)

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
- कुल निर्मित क्षेत्र
- खेल–कूद के मैदान का क्षेत्र

मंत्री
[illegible] शिक्षा चयन सोसायटी
जयपुर

- कक्षा के कमरों की संख्या
- प्रधानाध्यापक एवं कार्यालयों एवं भंडार कक्ष
- लड़के और लड़कियों के लिए पृथक–पृथक शौचघर
- पीने के पानी की सुविधा
- मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई
- अवरोध मुक्त पहुंच
- अध्यापन विज्ञता सामग्री/खेल–कूद उपस्कर/ पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएगी।

10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।

11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता हैं।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता हैं।

13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।

जे. पी. आर./झोट./आर.टी.ई./1125/दि.05/10/12

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (RJ/BEEO/JH/JPR/2012-13/..............) हैं। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।

15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/ जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।

17. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

ब्लॉक प्रार. शिक्षा अधिकारी
झोटवाड़ा (जयपुर)

मंत्री
[illegible] शिक्षा भवन [illegible]
जयपुर

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा जयपुर